दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर – 273009

दिनांक : 20 / 07 /2024.

पत्रांक : सम्बद्धता/2024-25/. 3604

सेवा में,
प्रबन्धक/प्राचार्य, महाराणा प्रताप महाविद्यालय, जंगल धूषण, गोरखपुर।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0बी0ए0–रिटेल (B.B.A.-Retail) पाठ्यक्रम में अस्थाई–सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन समिति ने महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कागजातों, सम्बद्धता से सम्बन्धित अभिलेखों एवं शासनादेशों के अनुसार परीक्षण किया गया। परीक्षणोंपरान्त समिति ने महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सम्बद्धता से सम्बन्धित अभिलेखों एवं शासनादेशों के अनुसार परीक्षण किया गया। परीक्षणोंपरान्त समिति ने निरीक्षण मण्डल की आख्या में इंगित कमियों एवं महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अभिलेखों को पूर्ण करने, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं शर्तों के अधीन **स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0बी0ए0–रिटेल पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2024–2025 से तीन वर्ष हेतु अस्थाई–सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।**

उपरोक्त के क्रम में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शैक्षिक सत्र 2024–2025 (दिनांक 01.07.2024) से तीन वर्ष हेतु शर्तों के अधीन अस्थाई–सम्बद्धता प्रदान किये जाने की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या के साथ संलग्न महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्रजातों में यदि किसी प्रकार की भिन्नता/त्रुटि पाई जाती है, तो जारी की गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

1. महाविद्यालय, सम्बद्धता समिति द्वारा इंगित कमियों **(यथा– अद्यतन परीक्षाफल एवं नकलविहीन प्रमाण पत्र, मूल एफ0डी0आर0, संदर्भित पाठ्यक्रम में शिक्षक अनुमोदन)** को पूर्ण करने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय से **कक्षा संचालन** की अनुमति प्राप्त करेगा। कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करेगा। अन्यथा की स्थिति में लिया गया छात्रों का प्रवेश अवैध माना जायेगा।
2. **महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।**
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर– 2–2007–2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर–2–2008– 2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानको को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
8. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।
12. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनश्चित करेगी।
13. महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
14. महाविद्यालय द्वारा **ए0आई0एस0एच0ई0 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24** का फार्म पूरित कर दिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(प्रो0 शान्तनु रस्तोगी)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या : सम्बद्धता/2024–25 /.................... तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1). प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। (2). निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद। (3). क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर। (4). अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय/परीक्षा नियत्रक/प्रभारी/अधीक्षक, परीक्षा सामान्य, दी0द0उ0 गो0वि0वि0, गोरखपुर। (5). प्रभारी, सचिव कुलपति कार्यालय, कुलपति जी के सूचनार्थ। (6). वैय0 सहायक कुलसचिव कार्यालय। (7). गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

कुलसचिव